भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.02.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1502 का उत्तर

रेलवे की अप्रयुक्त भूमि

1502. श्रीमती गीता कोडा:

श्री जुगल किशोर शर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों की अप्रयुक्त भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए कोई योजना आरंभ की है/निविदा प्रक्रिया आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जम्मू और झारखंड में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनकी अप्रयुक्त भूमि वाणिज्यिक विकास के लिए ले ली गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे की अप्रयुक्त भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए आज की तिथि के अनुसार निजी क्षेत्र जिन्हें ठेका दिया गया है, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेलवे की अप्रयुक्त भूमि के संबंध में दिनांक 10.02.2021 को लोक सभा में श्रीमती गीता कोडा और श्री जुगल किशोर शर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1502 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): जी, हां। भारतीय रेल ने स्टेशन के आसपास की खाली भूमि और नभक्षेत्र की संभाव्यता का लाभ उठाते हुए स्टेशन पुनः विकास की योजना बनाई है। इसके लिए, रेलवे पूरे देश में स्टेशनों का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराती है। इन व्यवहार्यता अध्ययनों के परिणाम के आधार पर, स्टेशनों का चरणों में पुनः विकास किया जाता है।

(ख): जम्मू तथा कश्मीर की संघ शासित प्रदेश में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और झारखण्ड राज्य में स्थित बोकारो स्टील सिटी, रांची और हटिया स्टेशनों का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया है।

(ग) निजी क्षेत्र कंपनियों के राज्य वार ब्यौरे जिसके साथ रेलवे भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए पट्टा संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	राज्य	संख्या
1.	महाराष्ट्र	1
2.	तमिलनाडु	1
3.	उत्तर प्रदेश	3
4.	दिल्ली	1
5.	पंजाब	1

*****